माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर

(पुँवारका, सहारनपुर, उ0प्र0, पिन–247120)

Website- msuniversity.ac.in Email ID – registrar@msuniversity.ac.in

पत्रांक : 1055 / 07 / प्रशा0 / MSU / 2023–24 दिनांकः 05.09.2023

सेवा में,

प्राचार्य / प्राचार्या

समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय

विषय –सेफ सिटी परियोजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में दिनांक : 30.08.2023 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक विश्वविद्यालय के पत्र संख्या–1039 / 07 / प्रशा0 / MSU / 2023–24, दिनांक : 01.09.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–3, उत्तर प्रदेश शासन के संलग्न पत्र संख्या– 2474 / सत्तर–3–2023, दिनांक : 30.08.2023 के माध्यम से मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में दिनांक : 30.08.2023 को सम्पन्न बैठक के अनुपालन में दिये गये निर्देशानुसार उच्च शिक्षण संस्थानों में शत–प्रतिशत कैमरे लगाये जाने के निर्देश दिये गये है। किन्तु कतिपय महाविद्यालयों द्वारा अभी तक सूचना उपलब्ध नहीं करायी गई है।

अतः उच्च शिक्षा अनुभाग–3 के पत्र संख्या–2467 / सत्तर–3–2023, दिनांक : 04 सितम्बर, 2023 के साथ मुख्य सचिव के संलग्न पत्र दिनांक : 25 अगस्त, 2023 में उल्लिखित बिन्दुओं के आलोक में निम्नलिखित गूगल लिंक पर आज ही सूचनाऐं उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को उच्च शिक्षा अनुभाग–3 के माध्यम से सूचना उपलब्ध करायी जा सके।

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRuh4UaNoVPlLyH3_ls3vUA5Yx8_dIp2Dv-6oRiuqTf9a65g/viewform

भवदीय

ह0 / –

कुलसचिव

प्रतिलिपि अधोलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

01. विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–3, उत्तर प्रदेश शासन।
02. अपर परिषद, उच्च शिक्षा, लखनऊ।
03. शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा, प्रयागराज।
04. कुलपति कार्यालय को कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ।

कुलसचिव

महत्वपूर्ण / समयबद्ध

संख्या–2467 / सत्तर–3–2023

प्रेषक,

प्रेम कुमार पाण्डेय,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. **निदेशक,**
उच्च शिक्षा, उ0प्र0,
प्रयागराज।
2. **कुलसचिव,**
समस्त राज्य / निजी विश्वविद्यालय,
उ0प्र0।
3. **समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी,**
उ0प्र0।
4. **अपर सचिव,**
उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद,
लखनऊ।

उच्च शिक्षा अनुभाग–3 **लखनऊ : दिनांक 04 सितम्बर, 2023**

विषयः सेफ सिटी परियोजना के कियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या–1684 / नौ–9–2023 / ई–1677525, दिनांक 25.08.2023 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 25.08.2023 में सेफ सिटी परियोजनान्तर्गत सी.सी. टी.वी. कैमरों को आई.सी.सी.सी. / आई. टी. एम. एस. से इन्टीग्रेट कराये जाने हेतु त्वरित कार्यवाही करने एवं कृत कार्यवाही से शासन को दिनांक 06.09.2023 तक अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(प्रेम कुमार पाण्डेय)
संयुक्त सचिव।

KINGO.

महत्वपूर्ण/शीघ्र
संख्या-1684/नौ-9-2023/ई-1677525

प्रेषक,

प्रमुख सचिव कार्यालय में प्राप्त दिनांक 28/8/2023

दुर्गा शंकर मिश्र,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या 1814/VIPPSHED/2023

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,
गृह विभाग/परिवहन विभाग/आवास एवं शहरी नियोजन विभाग/
महिला एवं बाल विकास विभाग/सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग/
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग/ बेसिक शिक्षा/
माध्यमिक शिक्षा विभाग/उच्च शिक्षा विभाग/प्राविधिक शिक्षा विभाग एवं
औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।

विo सo (G)/ OSD(NSS)

नगर विकास अनुभाग-9 लखनऊः दिनांक 25 अगस्त, 2023

विषय- सेफ सिटी परियोजना के क्रियान्वयन के संबध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि सेफ सिटी परियोजना के क्रियान्वयन हेतु सार्वजनिक व निजी क्षेत्र के सी.सी.टी.वी. कैमरों को स्मार्ट सिटी योजना के अन्तर्गत संचालित आई.सी.सी.सी. व आई.टी.एम.एस. के साथ इन्टीग्रेट करके एक स्थान से मॉनिटरिंग की व्यवस्था को यथाशीघ्र पूर्ण कराया जाना शासन की प्राथमिकता है। केन्द्र पुरोनिधानित स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत प्रदेश के 10 शहरों (आगरा, अलीगढ़, बरेली, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, प्रयागराज, सहारनपुर व वाराणसी) में आई.सी.सी.सी. व आई.टी.एम.एस. परियोजनाए पूर्ण रूप से क्रियाशील है एवं राज्य स्मार्ट सिटी योजना के अन्तर्गत प्रदेश के अन्य 06 नगर निगमों (अयोध्या, फिरोजाबाद, गोरखपुर, मथुरा-वृन्दावन, मेरठ व शाहजहांपुर) में आई.टी.एम.एस. परियोजना के तहत कमाण्ड सेन्टर क्रियाशील है।

4
28/8/2023
(एम0 पी0 अग्रवाल)
प्रमुख सचिव,
उच्च शिक्षा विभाग
उत्तर प्रदेश शासन

2. उल्लेखनीय है कि नगर विकास विभाग स्तर पर समस्त नगर आयुक्तों के साथ सेफ सिटी परियोजना के क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक की गई, जिसमें कार्य की प्रगति तथा सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करते हुए परियोजना के कार्यान्वयन हेतु दिशा-निर्देश दिए गए हैं। केन्द्र पुरोनिधानित स्मार्ट सिटी योजनान्तर्गत मण्डलायुक्त एस0पी0वी0 के अध्यक्ष है एवं राज्य स्मार्ट सिटी योजना में भी कार्यो की स्वीकृति मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति के माध्यम से प्रदान की जाती है। परियोजनान्तर्गत विभिन्न विभागों का सहयोग एवं समन्वय आवश्यक है। इस हेतु निम्न बिन्दुओं पर कार्यवाही किया जाना अपेक्षित हैः

4362/उ0शि0/23
J.S.
29-8-23
(अम्बर लाल)
निजी सचिव
विशेष सचिव,
उच्च शिक्षा विभाग,
उ0 प्र0 शासन

1. पुलिस विभाग द्वारा सी.सी.टी.वी. कैमरों को कनेक्ट करने हेतु सूची उपलब्ध करायी गयी है, परन्तु कई स्थानों पर इनके इन्टीग्रेशन हेतु सहमति प्राप्त नहीं हो पा रही है। अतएव वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त द्वारा सम्बंधित थानों के माध्यम से इण्टीग्रेशन की कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाय तथा इस हेतु न्यूनतम अपर पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी को नोडल नामित किया जायेगा, जिनके द्वारा प्रतिदिन संबंधित कार्यो की समीक्षा की जायेगी।

2. शहर के समस्त आबकारी की दुकानों के सी.सी.टी.वी. कैमरों को भी इस व्यवस्था से इन्टीग्रेट कराया जाये। इस हेतु जिला आबकारी अधिकारी के माध्यम से समस्त दुकानों के सी0सी0टी0वी0 कैमरों के इन्टीग्रेशन की कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाये। कैमरों के Installation प्रवेश, निकास तथा सार्वजनिक स्थानों पर करते हुए कैमरों को कनेक्ट किया जाये।

3. उक्त व्यवस्था से महिलाओं व छात्राओं के मन में सुरक्षा की भावना विकसित हो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि विश्वविद्यालयों, निजी व सार्वजनिक कालेज, स्कूल, कोचिंग संस्थान, टयूशन सेन्टर इत्यादि की सूची बेसिक

HE-3
29-8-23
(प्रेम कुमार पाण्डेय)
संयुक्त सचिव
उच्च शिक्षा विभाग
उ0प्र0 शासन।

श्री अनिल
कृ0 2 ...
29.8.2023

शिक्षा अधिकारी/जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से तैयार करा ली जाय एवं इन संस्थानों के सी.सी.टी.वी. कैमरों को आई.सी.सी.सी./ आई.टी.एम.एस. से कनेक्ट किया जायेगा तथा जिन संस्थानों में सी.सी.टी.वी. कैमरें स्थापित नही है, उन संस्थानों को स्वयं के व्यय पर इन्हे स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित किया जाय तथा इन कैमरों को भी कनेक्ट किये जाने की कार्यवाही पूर्ण की जाये। कैमरों के Installation प्रवेश, निकास तथा सार्वजनिक स्थानों पर करते हुए कैमरों को कनेक्ट किया जाये।

4. शहर के ऐसे स्थल जहां पर अत्यधिक भीड़-भाड़ होती है, जैसे- बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, टैक्सी स्टैण्ड, मॉल, शापिंग सेन्टर, सिनेमा हाल, किसी भी प्रकार का प्रर्दशनी स्थल, सांस्कृतिक व धार्मिक स्थलों पर स्थापित कैमरों को सेफ सिटी योजना के अन्तर्गत आई.सी.सी.सी./ आई.टी.एम.एस. से कनेक्ट कराया जाये।

5. सभी प्रकार के व्यवसायिक/वाणिज्यिक संगठनों जैसे-इण्डस्ट्री एसोसियेशन, मेडिकल, हास्पिटल, पेट्रोल व गैस एजेंसी तथा रेजीडेन्ट एसोसियेशन व अन्य संगठनों से बैठक करके सभी प्रतिष्ठानों के प्रवेश व निकास द्वार पर स्थापित सी.सी.टी.वी. कैमरों को कनेक्ट किया जायेगा।

6. शहर के सभी स्टेक होल्डर्स को बैठकों के माध्यम से यह अवगत कराया जाये कि सी.सी.टी.वी. कैमरों को कनेक्ट किये जाने से जहां एक तरफ उनकी सुरक्षा होगी, वही दूसरी ओर किसी भी प्रकार के अपराध घटित होने की स्थिति में साक्ष्य संकलन सुविधाजनक होगा। समस्त स्टेकहोल्डर्स के मन में इस प्रकार की भावना विकसित किया जाना आवश्यक है, ताकि उनका पूर्ण सहयोग प्राप्त हो सके।

7. सोशल मीडिया, वीडियो फिल्म आदि के माध्यम से प्रचार-प्रसार के अतिरिक्त स्टेक होल्डर्स के साथ बैठक, नुक्कड़ नाटक आदि द्वारा भी इस प्रक्रिया के सम्बंध में जन-जागरूकता की जायेगी।

8. सेफ सिटी परियोजना के अन्तर्गत सी.सी.टी.वी. कैमरों को आईसीसीसी/आईटीएमएस से इन्टीग्रेशन की इस पूरी प्रक्रिया में मा0 जन-प्रतिनिधिगण का आवश्यक मार्ग-दर्शन व अपेक्षित सहयोग महत्वपूर्ण है। इस हेतु मा0 जन प्रतिनिधिगण को स्थानीय आईसीसीसी केन्द्र में बुलाकर उनके समक्ष प्रस्तुतीकरण जायेगा व इस प्रक्रिया से लोगों को होने वाले लाभों से अवगत कराया जायेगा।

9. सी.सी.टी.वी. कैमरों को आई.सी.सी.सी./आई.टी.एम.एस. से कनेक्ट करने के दौरान कस्टमर की पुष्टि करते हुए इसके लाभ के सम्बंध में वीडियो टेस्टोमोनियल भी प्राप्त किये जाय तथा इन्हे सम्बंधित नगर निगम तथा आई.सी.सी.सी. सेन्टर में सुरक्षित रखा जाये।

3. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया सेफ सिटी परियोजनान्तर्गत निजी व सार्वजनिक क्षेत्र के सी.सी.टी.वी. कैमरों को आई.सी.सी.सी./आई.टी.एम.एस. से इन्टीग्रेट कराये जाने हेतु परियोजना की मॉनीटरिंग करते हुए उपरोक्तानुसार त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। प्रकरण अत्यंत महत्वपूर्ण है, अतः उक्त कार्य उच्च गुणवत्ता एवं समयबद्ध रूप से 20 सितम्बर तक पूर्ण रूप से Integrated एवं संचालित किया जाना अपेक्षित है।

भवदीय,

Signed by दुर्गा शंकर
मिश्र
Date: 25-08-2023 19:47:40
Reason: Approved

(दुर्गा शंकर मिश्र)
मुख्य सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>

<u>प्रतिलिपि</u>- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. **समस्त मण्डलायुक्त**, उ0प्र0।
2. **पुलिस महानिदेशक**, उ0प्र0 लखनऊ।
3. **पुलिस महानिदेशक**, कानून-व्यवस्था, उ0प्र0 लखनऊ।
4. **अपर पुलिस महानिदेशक**, ट्रैफिक एवं रोड सेफ्टी/महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन, उ0प्र0 लखनऊ।
5. **निदेशक**, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
6. **मिशन निदेशक**, स्मार्ट सिटी, उ0प्र0 लखनऊ।
7. **समस्त जिलाधिकारी**, उ0प्र0।
8. **नगर आयुक्त**, समस्त नगर निगम, उ0प्र0।
9. **गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल।**

आज्ञा से,

(अमृत अभिजात)
प्रमुख सचिव।